न्यायालयः – शिवानी असाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सौंसर, जिला छिंदवाडा

<u>समरी प्रकरण क्र. 235/2021</u>

<u>संस्थित दिनांक 08-06-2021</u>

फाइलिंग नं-समरी/729/2021

सी.एन.आर. नं.-एम.पी.28060008802021

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मोहगांव, जिला छिंदवाडा, म.प्र.

–––––अभियोजन

//विरुद्ध//

शांताराम पिता मंगलसिंह धुर्वे, उम्र 48 वर्ष,

निवासी-ग्राम जामलापानी, थाना मोहगांव, जिला छिंदवाडा, म.प्र. ----अभियुक्त

आरक्षी केंद्र मोहगांव जिला छिंदवाड़ा के अपराध क्रमांक 70/21 अंतर्गत धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 से उदभूत प्रकरण।

//निर्णय// (<u>आज दिनांक 08.06.2021 को खुले न्यायालय में घोषित)</u>

- 01. अभियुक्त शांताराम धुर्वे के विरुद्ध धारा 34 (1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का यह अभियोग है कि दिनांक 18.04.2021 को समय शाम लगभग 06.45 बजे, ग्राम जामलापानी डेम के किनारे, थाना मोहगांव क्षेत्रान्तर्गत एक प्लास्टिक की केन में करीब 10 लीटर हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब कीमत 1000/- रुपये को बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा पाया गया।
- 02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार कि अनुसंधानकर्ता को भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि, ग्राम जामलापानी में शांताराम धुर्वे जामलापानी डेम के किनारे अवैध हाथभट्टी महुआ की शराब रखे हुये दिखा। अनुसंधानकर्ता ने सूचना से पंचान साक्षी को अवगत कराया और घटनास्थल पर दिबश दिया, तो एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की कुप्पी केन में करीब 10 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब रखे हुये था। उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया तो उसने अपना नाम शांताराम पिता मंगलिसंह धुर्वे बताया । पंचानों के समक्ष अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर हाथभट्टी कच्ची शराब होना पाया गया और शराब रखने का लायसेंस न होना बताया । अभियुक्त से शराब जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा बनाया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03. अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अंतर्गत अपराध की विशिष्टयां पढ़कर सुनायी व समझायी गयी। अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छया पूर्वक अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया गया।
- 04. अभियुक्त द्वारा बिना किसी डर दबाव के अपराध स्वीकार किया गया है। अतः उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 252 द.प्र.सं. के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध

के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

- 05. अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा पूर्व दोषसिद्धी के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- 06. अतः अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है -

| क्र. | अभियुक्त का नाम | धारा(म.प्र. आबकारी अधिनियम) | कारावास | | अर्थदण्ड की राशि के व्यतिक्रम में होने पर कारावास |
|------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1 | शांताराम पिता मंगलसिंह धुर्वे | 34 (1)(क) | न्यायालय उठने तक | 1000/- (एक हजार रुपये) | 15 दिवस (साधारण) |

- 07. प्रकरण में जप्तशुदा 10 लीटर हाथभट्टी कची शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 08. धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त की निरोध की अवधि के संबंध में प्रमाणपत्र बनाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित

(शिवानी असाटी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर, जिला छिंदवाडा, म.प्र.

(शिवानी असाटी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर, जिला छिंदवाडा, म.प्र.